

**हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह शिमला-171002 के लेखाओं का अंकेक्षण
एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2014**

भाग—एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत आडिट पैरों पर की गई कार्रवाई क सत्यापनोपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी:—

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा-10	निर्णीत	(दिये गये उत्तर के आधार पर निर्णीत)
(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011			
1	पैरा-6	अनिर्णीत	
2	पैरा-8	निर्णीत	(दिये गये उत्तर के आधार पर निर्णीत)
(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण अवधि 4/2012 से 3/2013			
1	पैरा-3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की राशि जमा की गई)
2	पैरा-4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा-5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
4	पैरा-6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
5	पैरा-7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
6	पैरा-8	निर्णीत	(₹30 की वसूली की गई तथा "Warm Clothing Advance" से सम्बन्धित पैरा पुनः प्रारूपित)
7	पैरा-9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
8	पैरा-10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
9	पैरा-11	अनिर्णीत	
10	पैरा-12	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
11	पैरा-13	निर्णीत	(₹264 की वसूली, 181/26.3.14 द्वारा कर ली गई)
12	पैरा-14	निर्णीत	(₹296 की वसूली, 181/26.3.14 द्वारा कर ली गई)
13	पैरा-15	निर्णीत	(दिये गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर निर्णीत)

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह के अवधि 4/2013 से 3/2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 03.01.2014 से 24.01.2014 के दौरान हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह के कार्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये हैं। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 2/14 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए 3/14 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई कोई गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह के अवधि 4/2013 से 3/2014 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹18000/—आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा भेजने हेतु आग्रह किया गया, जिसे संस्था द्वारा बैंकर चैक संख्या 397321 दिनांक 24.1.15 द्वारा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दिया गया था।

4 वित्तीय स्थिति:—

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह द्वारा प्रस्तुत जलपान गृह के वर्ष 2013-14 के लेखों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" व परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

5 सहायता अनुदान:—

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों इत्यादि की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान की राशि दी जाती है। परिशिष्ट "ग-1" तथा परिशिष्ट "ग-2" में संलग्न विवरणिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में हिमाचल प्रदेश सरकार से ₹11436168/— का अनुदान प्राप्त हुआ जिसमें पूर्व में वर्ष 2012-13 में वेतन भत्तों इत्यादि पर अधिक खर्च की राशि भरपाई के रूप में ₹1550013.90 की सहायता अनुदान भी सम्मिलित थी। इसी प्रकार वास्तव में 2013-14 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से कुल अनुदान के रूप में केवल ₹9886154.10 ही प्राप्त हुई थी जिसके विपरीत जलपान गृह द्वारा वर्ष 2013-14 में स्टाफ के वेतन इत्यादि तथा भत्तों पर

₹10146073/- खर्च की गई। अतः वर्ष 2013-14 में ₹259918.90 का अधिक व्यय किया गया जोकि सचिवालय जलपान गृह द्वारा अन्य स्त्रोतों में दायित्व का सर्जन करके किया गया प्रतीत होता है। अतः वेतन, भत्तों इत्यादि पर की गई अधिक व्यय की गई ₹259918.90 की भरपाई हेतु मामला हिमाचल प्रदेश सरकार से उठाया जाये और अधिक व्यय की गई राशि की भरपाई सरकारी अनुदान सहायता से की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 ₹33215/-की सम्पत्ति की खरीद के बारे में:-

परिशिष्ट "घ" में दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष 2013-14 में ₹33215/-की सम्पत्ति की खरीद की गई दर्शाई गई है। यह राशि गत वर्षों के तुलन पत्र में दर्शाए गए अधिक्य से व्यय की गई थी।

7 ₹903299.75 का लेनदारी के रूप में शेष पाया जाना:-

सचिवालय जलपान गृह द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों से दिनांक 31.3.2014 तक ₹903299.75 की वसूली करनी शेष थी जिस का विवरण परिशिष्ट "ङ" पर दिया गया है। इस राशि में से ₹60535/-अन्य लेनदारों से प्राप्ति योग्य दर्शाई गई है जिसका विस्तृत विवरण उक्त परिशिष्ट में नहीं दिया गया है। अतः अन्य लेनदारों से बकाया/शेष राशि की वसूली का पूर्ण ब्यौरा दिया जाए क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य लेनदारों में कुछ ऐसे लेनदार है जिनसे पिछले कई वर्षों से राशियां की वसूली की जानो बकाया है, परन्तु सचिवालय जलपान गृह द्वारा इन लेनेदारों से वसूली के लिए गम्भीरता से कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष अन्य लेनदारों की राशियों में बढ़ौतरी हो रही है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त राशि का ब्यौरा देने के अतिरिक्त समस्त राशि की वसूली करने हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 "Warm Clothing Advance" के रूप में ₹5400/- वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

परिशिष्ट "च" पर दिए गए विवरण के अनुसार दिनांक 31.3.14 तक विभिन्न कर्मचारियों से "Warm Clothing Advance" की ₹5400/- वसूली योग्य शेष दर्शाई गई है। अतः इस राशि की यथासमय वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 ₹165352/-का देनदारी के रूप में शेष दर्शाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह के लेखाओं के अनुसार दिनांक 31.3.2014 तक ₹165352/-देनदारियों के रूप में शेष थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "छ" में सलग्न है। अतः उक्त दर्शाई गई देनदारी का नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को देय ₹41729.36 के बारे में:-

परिशिष्ट "ज" में दिए गए विवरण के अनुसार हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के विभिन्न यूनिटों को ₹41729.36 देय दर्शाई गई है। अतः उक्त देनदारी का सम्बन्धित यूनिटों में मिलान करके इनका भुगतान सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत करना सुनिश्चित किया जाए।

11 बैंक समाधान विवरणी में असमायोजित चैकों के बारे में:-

परिशिष्ट "झ-1" तथा "झ-2" में दिए गए विवरण के अनुसार अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.14 को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा हिमाचल प्रदेश को-ओपरेटिव बैंक में कुछ चैकों की राशियाँ असमायोजित पाई गई तथा तदनुसार ही संस्था द्वारा इन खातों से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी तैयार की गई। अतः इन असमायोजित चैकों को समायोजित करके तथा रोकड़ वही के अन्तर्शेषों तथा बैंक के खातों के अन्तर्शेष का मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में वेतन का अधिक निर्धारण करना:-

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में वेतन के निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया कि जलपान गृह द्वारा निम्नविवरणानुसार कुछ एक कर्मचारियों को दिनांक 1.1.15 से देय वेतन वृद्धियों का अधिक निर्धारण किया है, जोकि अनियमित था।

	कर्मचारी का नाम एवं पद	देय वेतन वृद्धि की तिथि	जितना वेतन निर्धारण किया	जितना वेतन निर्धारण किया जाना था	अधिक वेतन निर्धारण
1	श्री करतार सिंह ठाकुर, कैप्टन	1.1.15	14400+440+2000=16840	12400+2000+4400=14840	2000
2	श्री सतपाल U/Worker	1.1.15	8060+250+1650=9960	6410+1650+250=8310	1650
3	श्री रण सिंह U/Worker	1.1.15	8060+250+1650=9960	6410+1650+250=8310	1650

4	श्री गोपाल सिंह सफाई कर्मचारी	1.1.15	7580+230+1650=9460	5930+1650+230=7810	1650
5	श्री राजेन्द्र सिंह U/Worker		6300+1400+190=7890	4900+1400+190=6490	1400
6	श्री कमल दत्त U/worker		6300+1400+190=7890	4900+1400+190=6490	1400

उक्त कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में किये गये गलत वेतन निर्धारण को संशोधित करके वेतन का सही निर्धारण करने के लिए लेखा परीक्षा अधियाचना 1 दिनांक 23.1.15 द्वारा आपत्ति उठाई गई थी तथा जलपान गृह द्वारा कार्यालय आदेश संख्या TDS-Estt/2002-10740 दिनांक शून्य द्वारा वेतन का निर्धारण संशोधित करके इसे ठीक कर दिया गया था। अतः सही वेतन के निर्धारण की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पंजिका में की जाये और इसकी पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि पर अंकुश लगाया जाये।

13 ₹297/-के वेतन का अधिक भुगतान करना:—

सचिवालय जलपान गृह द्वारा श्री रूप सिंह यूटिलिटी वर्कर को दिनांक 01.07.13 को वेतन वृद्धि प्रदान करके उनकी सेवा पुस्तिका में ₹8610+₹1650 का वेतन निर्धारित करना अपेक्षित था जबकि उनका वेतन ₹8320+₹1650/- का निर्धारित किया गया, जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारी को निम्नविवरणानुसार ₹297/-का अधिक भुगतान किया गया जिसकी संस्था स्तर जाँच करके अपेक्षित वसूली उक्त कर्मचारी से की जाए तथा उनके वेतन का निर्धारण नियमानुसार करके सेवा पंजिका से संशोधित/सही प्रविष्टी की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

	देय भुगतान			किया गया भुगतान			
अवधि	मूल वेतन+ ग्रेड पे	मंहगाई भत्ता	योग	मूल वेतन+ ग्रेड पे	मंहगाई भत्ता	कुल	अधिक भुगतान
1.10.13 से 31.12. 13	8610+1650 =10260	9234	19494	8620+1650	9243	19513	57
1.10.14 से 30.6. 14	8610+1650 =10260	10260	20520	8620+1650 =10270	10270	20540	120
1.7.14 से 31.12.14	8920+1650 =10570	10570	21140	8930+1650 =10580	10580	21160	120

				कुल योग	₹297
--	--	--	--	---------	------

14 हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह में खाद्य पदार्थों के विक्रय मूल्य के पुनः निर्धारण के बारे में:-

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह को सचिवालय स्टाफ की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के स्टॉफ द्वारा No. Profit No Loss पर संचालित किया जा रहा है और जलपान गृह में तैनात कर्मचारियों के वेतन इत्यादि का भुगतान सरकार द्वारा देय हर वर्ष अनुदान से किया जा रहा है। जलपान गृह में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य का निर्धारण हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। अंकेक्षण को परिशिष्ट "ण" पर उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार सचिवालय जलपान गृह के खाद्य पदार्थों की दरों का निर्धारण सचिव (सचिव प्रशासन) हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता की बैठक दिनांक 27.02.13 द्वारा किया गया तथा इन दरों को दिनांक 1.4.13 से लागू कर दिया गया था दिनांक 1.4.13 से अब तक इन्हीं दरों पर खाद्य पदार्थों को बचा जा रहा है जबकि अवधि 1.4.13 से अवधि 31.3.14 और अब तक सामग्री के मूल्य पर काफी अधिक वृद्धि हो चुकी है। परिणामस्वरूप खाद्य पदार्थों को तैयार करने से काफी अधिक लागत आ रही है जिसका विवरण परिशिष्ट "ण-1" पर संलग्न है। अतः परामर्श दिया जाता है कि खाद्य पदार्थों के मूल्य का निर्धारण पुनः No profit No Loss के आधार पर करवाया जाये ताकि जलपान गृह में होने वाले वित्तीय नुकसान से बचा जा सके।

15 स्टोर एवं स्टॉक में सामग्री से सम्बन्धित प्रविष्टियों बारे:-

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह द्वारा दिनांक 6.12.13 से सामग्री की प्राप्ति एवं जारी से सम्बन्धित प्रविष्टियों एवं लेखों का रख रखाव Computer में करना आरम्भ किया गया था, परन्तु सामग्री से प्राप्ति एवं जारी से प्रविष्टियों की जाँच पर पाया गया कि दिनांक 6.12.13 से 31.12.13 तक सामग्री से सम्बन्धित प्राप्ति एवं जारी की जो स्टॉक प्रविष्टियाँ कम्प्यूटर पर की गई थी वह प्रविष्टियाँ जारी सामग्री एवं प्राप्ति से मेल नहीं खाती थी। जलपान गृह द्वारा कम्प्यूटर में कई जगह ज्यादा या फिर कम सामग्री दिखाई जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जलपान गृह द्वारा लेखों के रख रखाव नई पद्धति से करने के फलस्वरूप यह त्रुटियाँ पाई गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि लेखों को कम्प्यूटर करने के साथ-2 स्टॉक एवं स्टोर की प्रविष्टियों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव पुरानी पद्धति के अनुसार भी किया जाये ताकि स्टोर एवं स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव सही ढंग से रहे। इसके साथ-2 दिन-प्रतिदिन जलपान गृह द्वारा प्राप्त जारी कम्प्यूटर से और बकाया सामग्री की Hard Copy भी प्राप्त करके उनका रख रखाव भी किया जाये और उसका मिलान

सम्बन्धित अभिलेखों से किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसका सत्यापन प्रबन्धक जलपान गृह से करवाया जाए ताकि स्टॉक एवं स्टोर की सही स्थिति का पता चल सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में अनियमितताएँ:-

हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह शिमला द्वारा माह 3/14 के दौरान कर्मचारियों को किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान स सम्बन्धित वाऊचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित त्रुटियाँ/अनियमितताएं पाई गई जिनका समाधान सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

रोगी का नाम एवं सम्बन्ध	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	फर्म का नाम तथा दिनांक	दवाईयों का नाम	राशि	त्रुटियाँ
श्रीमती शारदा चौहान पत्नी	श्री जगदीश कुमार स0 प्रबन्धक	Tangin Hospital Shimla THP-29327/17.12.13	Glumorse Atorlip Amlosafe Mnospaz	141.36 186.18 85.50 70.00	संलग्न पर्ची पर दवाईयाँ नहीं लिखी गई थी
				483.04	
-यथोपरि-	-यथोपरि-	Tangin Hospital Shimla THP-36815 dated 14.11.13	Glumorse Atorlip Amlosafe	141.36 186.08 24.75	पर्ची साथ संलग्न नहीं थी
				352.29	
श्रीमती शारदा चौहान पत्नी	श्री जोगिन्द्र कुमार स0 प्रबन्धक	Tangin Hospital Shimla CM No. 12398 dt 8.3.14	B.Sugar Uricacid Lipidprofile Thyroioi Function Test Urea S.Creatnine	15 25 150 300 15 25	पर्ची साथ संलग्न नहीं थी
				530	
		-do-	LFT	70	पर्ची साथ संलग्न नहीं थी
			Hemogram/CBC	35	
			Perpheral Smear	20	
				125	
		-do- C.M. No. THP-37258 dated 12.03.14	Haemup	87	

17 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई।

18 निष्कर्ष:— लेखाओं के रख-रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

हस्ता/-

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:फिन (एल0ए0)सी(15)(14)92 / 85-खण्ड-111814-1817,दिनांक,08.04.2015
शिमला-171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्धक, सचिवालय जलपान गृह, शिमला-171002 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित शिमला-1
3. उप सचिव (एस0ए0डी0)हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
4. श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता/-

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.